भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3119
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

†3119. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश के शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में उज्ज्वला योजना के लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को इस योजना को जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ड.) यदि हां, तो उज्ज्वला योजना देश में अब तक अपने उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त करने में सफल रही है;

(च) उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उनमें से नियमित रूप से अपनी एलपीजी रिफिल करवाने वाले लाभार्थियों की ओडिशा और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। जहां कच्चे तेल का मूल्य (भारतीय बॉस्केट) 73.30 डॉलर/बीबीएल (दिसम्बर, 2021) से बढ़कर 112.87 डॉलर/बीबीएल (मार्च, 2022) तथा और अधिक बढ़कर 116.01 डॉलर (जून, 2022) हो गया है और लगातार अत्यधिक अस्थिर बना हुआ है, ओएमसीज ने दिनांक 06 अप्रैल, 2022 से मूल्यों को बढ़ाया नहीं है/संशोधित नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में नवम्बर, 2021 तथा मई, 2022 में क्रमश: 13 रुपये/लीटर तथा 16 रुपये/लीटर की कमी की गई थी और इसका फायदा पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य वैट कम कर दिया।

भारत सरकार ने भी उच्च अंतर्रा ीय मूल्यों से आम नागरिकों को बचाने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट का विविधीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सेवा दायित्व के प्रावधान लागू करना और पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

अप्रैल, 2021 से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रुपए/लीटर)

निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार मूल्य	**पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य**	**डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य**
01-अप्रैल -21	90.56	80.87
01-अप्रैल -22	101.81	93.07
01-अप्रैल -23	96.72	89.62
01-दिसंबर-23	96.72	89.62

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

भारत अपनी घरेलू एलपीजी की खपत के 60 प्रतिशत से अधिक का आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतर्रा ीय बाजार में इनके मूल्य से जुड़े हुए हैं। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती बढ़ाती रहती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्रा ीय बैंचमार्क) 415 डॉलर प्रति एमटी से बढ़ कर 712 डॉलर प्रति एमटी हो गया है। तथापि, अंतर्रा ीय मूल्यों में वृद्धि का भार पूरी तरह से ग्राहकों पर नहीं डाला गया था।

सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर की कमी की है। सरकार दिनांक 21 मई, 2022 से वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 12 रीफिल के लिए 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता हेतु बजटीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों हेतु निर्धारित राजसहायता को और बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर कर दिया गया है। दिनांक 01.12.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी का प्रभावी मूल्य (दिल्ली में) 603 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर है। दिल्ली में अप्रैल, 2021 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रुपए/14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर)

निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार मूल्य	**दिल्ली में घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य**	**दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत**
01-अप्रैल -21	809.00	809.00
01-अप्रैल -22	949.50	949.50
01-अप्रैल -23	1103.00	903.00
01-Dec-23	903.00	603.00

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

(ग) से (छ): निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश में गरीब परिवारों को स्व छ रसोई ईंधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में ही पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा 100.85 करोड़ से अधिक रीफिल्स लिए गए हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत खान पान की आदतों, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदतों, मूल्य और वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करती है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के लिहाज से) 3.01 (वि वर्ष 2019-20) से बढ़कर 3.71 (वि वर्ष 2022-23) हो गई है। इसके अलावा, सरकार ने एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए हैं जिनमें पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए अधिकतम 12 रीफिल्स/वर्ष हेतु 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. रीफिल की निर्धारित राजसहायता, 5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 कि.ग्रा. के सिलिंडर को बदलकर 5 कि.ग्रा. सि लडर लेने का विकल्प और अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को अधिकतम 3 निशुल्क रीफिल आदि शामिल हैं।

दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। ओडिशा और महाराष्ट्र को शामिल करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम एक रीफिल ले चुके लाभार्थियों के ब्यौरों सहित उज्ज्वला लाभार्थियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

'विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य' के बारे में श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले और डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3119 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,444
आं प्रदेश	5,12,433
अरुणाचल प्रदेश	49,245
असम	44,14,012
बिहार	1,07,35,289
चंडीगढ़	659
छ ीसगढ	34,92,160
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15,033
दिल्ली	1,42,024
गोवा	1,265
गुजरात	38,42,970
हरियाणा	7,67,162
हिमाचल प्रदेश	1,40,776
जम्मू और कश्मीर	12,45,232
झारखंड	36,46,176
कर्नाटक	37,57,307
केरल	3,41,210
लद्दाख	11,094
लक्षद्वीप	309
म य प्रदेश	82,27,217
महारा	48,89,709
मणिपुर	2,02,029
मेघालय	2,14,851
मिजोरम	33,595
नगालैंड	91,806
ओडिशा	53,20,752
पुदुच्चेरी	14,835
पंजाब	12,83,827
राजस्थान	69,26,442
सि म	13,795
तमिलनाडु	37,03,824
तेलंगाना	11,52,806
त्रिपुरा	2,83,503
उ र प्रदेश	1,75,00,658
उ राखंड	4,96,431
प म बंगाल	1,23,70,935

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-II

'विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य' के बारे में श्री चंद्र शेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले और डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3119 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम एक रीफिल लेने वाले लाभार्थियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,444	12,322
आं प्रदेश	5,12,433	4,80,796
अरुणाचल प्रदेश	49,245	41,157
असम	44,14,012	33,69,374
बिहार	1,07,35,289	96,76,834
चंडीगढ़	659	650
छ ीसगढ	34,92,160	22,40,600
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	15,033	14,989
दिल्ली	1,42,024	1,37,101
गोवा	1,265	1,212
गुजरात	38,42,970	36,00,026
हरियाणा	7,67,162	7,28,902
हिमाचल प्रदेश	1,40,776	1,26,300
जम्मू और कश्मीर	12,45,232	11,14,033
झारखंड	36,46,176	27,75,900
कर्नाटक	37,57,307	35,57,042
केरल	3,41,210	3,17,098
लद्दाख	11,094	10,651
लक्षद्वीप	309	283
म य प्रदेश	82,27,217	69,21,334
महारा	48,89,709	46,14,148
मणिपुर	2,02,029	1,85,252
मेघालय	2,14,851	1,61,304
मिजोरम	33,595	30,558
नगालैंड	91,806	75,643
ओडिशा	53,20,752	45,14,441
पुदुच्चेरी	14,835	15,136
पंजाब	12,83,827	11,93,768
राजस्थान	69,26,442	65,97,838
सि म	13,795	11,339
तमिलनाडु	37,03,824	34,33,681
तेलंगाना	11,52,806	10,79,090
त्रिपुरा	2,83,503	1,78,702
उ र प्रदेश	1,75,00,658	1,58,28,442
उ राखंड	4,96,431	4,53,227
प म बंगाल	1,23,70,935	1,05,81,956

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड